फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मदनसिंह बनाम विपक्षी : श्री [illegible] व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 70/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 28.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 2, 3 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 1 उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमती जताई साथ ही निवेदन किया की प्रार्थनागस्त आराजी न. 171 की पूर्व किस्म नाला थी। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनागस्त आराजी न. 171 राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम अंकित है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का निरन्तर निराबाध रूप से कब्जा काश्त होकर आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थनागस्त भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का पक्का पुख्ता सीमांकन नही होने से पक्षकारो में आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपनी भूमि की तारबंदी करवाना चाहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर अपनी मौखिक बहस में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 171 की पूर्व किस्म नाला थी लेकिन वर्तमान में उक्त किस्म को बीड प्रथम अंकित कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमती जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नही किया गया। विपक्षी संख्या 2, 3 अनुपस्थित रहे।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन हो जायेगा। तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की साबिक किस्म नाला बताई है जिससे प्रकरण में सशर्त पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में सशर्त स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का सशर्त स्वीकार किया जाता है कि मौजा सिहाड पटवार हल्का सिहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 166 की आराजी न. 171 किता 1 रकबा 0.2400 हैं. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावे। अगर प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 171 की साबिक किस्म नाला हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावे। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नही है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही [illegible] कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनि[illegible] के पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना [illegible] तहसीलदार [illegible] को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम[illegible] प्रा[illegible]दा करेगा।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:02:40 IST
Reason: SelfAttested